न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 70/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां

(निगराकार)

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र गोबरीलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम ईश्वरपुरा पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां
2. ग्राम पंचायत ईश्वपुरा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां (राज0)

(गैरनिगराकारान)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (निगराकार)

निर्णय दिनांक 26.07.2023

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा ने दिनांक 05.06.2004 को आबादी भूमि का पट्टा कमांक 113 साइज 42X24 कुल क्षेत्रफल 1008 वर्गफीट का गैर निगराकार कम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार को रियायती दर पर पट्टा जारी किया है जो नियमानुसार कमजोर वर्गो को नियम 158 में उल्लेखित है, को ही दिया जा सकता है किन्तु पंचायत ने पट्टा जारी करते समय ऐसी कोई जांच या साक्ष्य प्राप्त नहीं की है कि गैर निगराकार रियायती दर से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है अस्तु पट्टा निरस्तनीय है। पंचायत ने निर्धारित दर (नियम 156(2) में प्रावधानित) से कम राशि प्राप्त कर मनमाने तरीक से नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अंकेक्षण वर्ष 2004–05 की ऑडिट रिपोर्ट में भी आक्षेप गठित कर उल्लेखित किया गया है कि गैरनिगराकार से 8064/– रूपये अन्तर राशि कम प्राप्त की गई है, जो वसूल योग्य मानी गयी है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में दिनांक 05.06.2004 को जारी पट्टा संख्या 113 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.18 11:31:14 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार कम 1 व 2 पूर्व से ही बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार की सुनकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से प्रकरण के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सुरेश कुमार पुत्र गोबरीलाल धाकड निवासी ईश्वरपुरा को पट्टा खसरा नंबर 313 में दिया गया है। इस संबंध में राजस्व रेकार्ड से जांच करने पर खसरा नंबर 313 किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है। मौके पर किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण नहीं है। मौके पर स्वंय पट्टाधारी का कब्जा बताया गया है।

हमने बहस एकपक्षीय अभिभाषक निगराकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर निर्धारित राशि से कम राशि प्राप्त कर ग्राम पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा कमांक 113 दिनांक 05.06.2004 निरस्त फरमाया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकान पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को ही रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैर निगराकार कम 1 को 1008 वर्गफीट का पट्टा जारी किया करने से पूर्व ऐसी कोई जांच या साक्ष्य प्राप्त नहीं की है कि गैर निगराकार रियायती दर से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली होना तथा पट्टाधारी स्वंय का कब्जा होना बताया गया है। परन्तु पट्टाधारी ने अंकेक्षण दल द्वारा आक्षेपित राशि जमा नहीं कराई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी सशर्त स्वीकार की जाती है, यदि गैरनिगराकार कम 1 शेष राशि 8064/– रूपये एक माह में जमा करा देवे तो पट्टा बहाल रखा जावेगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराये जाने पर ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैरनिगराकार कम–1 **सुरेश कुमार पुत्र गोबरीलाल, जाति धाकड निवासी ग्राम ईश्वरपुरा** के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 113 दिनांक 05.06.2004 क्षेत्रफल 1008 वर्गफीट निरस्त समझा जावेगा तथा पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.18 11:31:14 IST
Reason: SelfAttested